कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक–2172 / FP/UK/ROAD/11421/2015 :देहरादूनःदिनांकः 11– मार्च, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,पर्यावरण, वन
एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद चमोली के अन्तर्गत थिरपाक–काण्डई मोटर मार्ग के किमी0 02 से चोपड़ाकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.367 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 8बी./यू. सी.पी./06/152/2016 एफ0सी0/174 दिनॉक 20.04.2018।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 1926/12–1 दिनांक 24–02–2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.734 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम तोलना भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 13,19,200.00 की धनराशि जमा की गई है तथा ग्राम तोलना सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन किया गया है। की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, तथा संरक्षित/आरक्षित वन घोषित प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है। (संलग्नक 1, 2)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनॉक 05.02.2009 के तहत् दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 20,00,15.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष मे जमा की जा चुकी है।
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढी दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जाए।	एन.पी.वी. की दर में बढोतरी होने पर बढी हुई धनराशि जमा कर दी जायेगी। का वचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक–3)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियॉ (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में मान्य नहीं होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से कैम्पा के खाते में जमा कर दी गई है। जमा रसीद प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–4)
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ संभव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात् जहॉ–जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनो किनारे वृक्षारोपण किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न

	Plantation की जायेगी इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	किया गया है की प्रति संलग्न है। (संलग्नक–5)
6	State Govt. will upload details of non Forest land area involved at designated places in online part I	Total non forest area is 0.823 ha. proposal is not in editable mode so detail of non forest land can not upload in designated places in online part I.

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,

संख्या–2172 / FP/UK/ROAD/11421/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 1926 / 12–1 दिनांक 24–02–2022 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,

o/c